न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 27/2021

अपीलांट्स –

1. अनवर खां पुत्र जमला
2. अजीम पुत्र जमला
3. हवली बेवा जमला
   निवासी दाखां तहसील
   सिणधरी जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. उसमान खां पुत्र हाजीखान
   निवासी दाखां तहसील सिणधरी
   जिला बाड़मेर
2. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 385 दिनांक 31.01.2013 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री ओम प्रकाश बिश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय।
3. रेस्पोडेंट सं. 2 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 12.07.2022

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार सिणधरी के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 385 दिनांक 31.01.2013 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा दाखा के खेत खसरा संख्या 350 रकबा 11–01 बीघा एवं 1365/347 रकबा 18–01 बीघा कुल रकबा 29–02 बीघा भूमि के खातेदारान क्रमशः अनवर खां अजीमा पि0 जमला हवली बेवा जमला हाजीडा पुत्र ओखा व मायेला सा0 देह ने दिनांक 31.01.2013 को तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर बाड़मेर
Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:21:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी दाखा द्वारा की गई एवं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चौसाला जमाबंदी एवं नक्शा में दशार्य अनुसार कृषि जोत का विभाजन प्रस्ताव सही है, मौके पर सहखातेदार विभाजन प्रस्ताव के अुनसार काबिज हैं। इस पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 385 दिनांक 31.01.2013 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.07.2021 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स के अधिवक्ता को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिणधरी द्वारा मौजा दाखा के खसरा नम्बर 350 एवं 1365 / 347 का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53(2) के तहत अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की गई है। मौजा दाखा का खसरा संख्या 347 रकबा 22–17 बीघा भूमि वक्त सेटलमेंट से सामलाती था व कुछ भूमि अलग अलग आई हुई थी। वक्त सेटलमेंट अपीलांट के पिता जमाल व रेस्पोंडेंट संख्या 1 के पिता हाजीखान उर्फ हाजीड़ा के नाम से खसरा संख्या 347 रकबा 22–17 बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:21:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर बाड़मेर

भूमि का संयुक्त रूप से बंदोबस्त हुआ था जबकि खसरा संख्या 350 रकबा 11–01 बीघा वक्त सेटलमेंट से अपीलांट्स के पिता जमला वल्द जीवा के नाम से मिसल बंदोबस्त जारी हुई थी। इस भूमि से रेस्पोडेंट के पिता हाजीड़ा का कोई लेना–देना नहीं था। अपीलांट्स के पिता जमला की फौतगी पर जमला के दो पुत्र व पत्नी के नाम से खसरा संख्या 350 तथा संयुक्त रूप से खसरा संख्या 347 रकबा 18–01 बीघा अपीलांट्स व रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम अमल दरामद हुई। रेस्पोडेंट संख्या 1 उसमान खान पढ़ा–लिखा व होशियार होने से सहमति विभाजन हेतु तैयार कागजात में हल्का पटवारी से मिलीभगत कर बंटवाड़ा में अपीलांट्स के खेत खसरा संख्या 350 को साथ लेते हुए विक्रय के पश्चात अवशेष भूमि कुल रकबा 29–02 बीघा का अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार खसरा संख्या 347 के विभाजन के फलस्वरूप रेस्पोडेंट को 9–01 बीघा के बजाय खसरा संख्या 350 एवं 347 के कुल 29–02 बीघा के हिस्से में से मुख्य सड़क पर स्थित 14–11 बीघा का एक हिस्सा बनाकर पूरा खसरा हड़प लिया। उक्त विभाजन पर अपीलांट्स के अंगुष्ठ निशान एवं हस्ताक्षर भी करवा कर तहसीलदार के समक्ष पेश किया गया जिस पर तहसीलदार सिणधरी ने अपीलाधीन आदेश क्रमांक 385 दिनांक 31.01.2013 पारित किया गया। उक्त अपीलाधीन बंटवाड़े के आधार पर तहसीलदार ने नामान्तरकरण संख्या 35 दिनांक 16.05.2013 को स्वीकृत कर अपीलांट्स को उनके हक–हिस्से से महरूम कर दिया। उक्त सहमति बंटवाड़ा दुरभिसंधि से करवाये जाने के कारण प्राकृति न्याय के विरूद्ध तथा प्रारम्भ से ही अवैधानिक प्रक्रिया अपनाये जाने के कारण शून्य होने से अपास्त योग्य एवं है। लिहाजा अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:21:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

5. अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि कुछ अर्सा पूर्व जब अपीलांट्स को रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा उनके घरों व कब्जा–काश्त से बेदखल करने की धमकियां दी गई, उनके कब्जे की शेष भूमि के बेचान हेतु उतारू हुआ तथा अपीलांट्स का रास्ता बंद कर दिया तब अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन आदेश की नकल मांगने पर ही उक्त विभाजन आदेश की जानकारी दिनांक 19.03.2021 को हुई। इस प्रकार प्रथम जानकारी होने की तिथि से यह अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई। उक्त अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र संलग्न कर अपील अन्दर मयाद शुमार करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया गया।

6. रेस्पोडेंट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

7. हमने अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन एवं मनन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा दाखा के खेत खसरा संख्या 350 रकबा 11–01 बीघा एवं 1365 / 347 रकबा 18–01 बीघा कुल रकबा 29–02 बीघा भूमि के खातेदारान क्रमशः अनवर खां अजीमा पि0 जमला हवली बेवा जमला हाजीड़ा पुत्र जीवा कौम मोयला सा0 देह ने दिनांक 31.01.2013 को तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया गया है। प्रश्नगत विभाजन की पहचान हल्का पटवारी दाखा द्वारा की गई एवं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चौसाला जमाबंदी एवं नक्शा में दर्शाये अनुसार कृषि भूमि का विभाजन प्रस्ताव सही है, मौके पर सहखातेदार विभाजन प्रस्ताव के अनुसार काबिज है। इस पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:21:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

तहसीलदार सिणधरी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 385 दिनांक 31.01.2013 पारित किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट्स का कथन है कि खसरा संख्या 350 रकबा 11–01 बीघा वक्त सेटलमेंट से अपीलांट्स के पिता जमला वल्द जीवा के नाम से मिसल बंदोबस्त जारी हुई थी। इस भूमि से रेस्पोडेंट के पिता हाजीड़ा का कोई लेना–देना नहीं था। अपीलांट्स के पिता जमला की फौतगी पर जमला के दो पुत्र व पत्नी के नाम से खसरा संख्या 350 तथा संयुक्त रूप से खसरा संख्या 347 रकबा 18–01 बीघा अपीलांट्स व रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम अमल दरामद हुई। रेस्पोडेंट संख्या 1 उसमान खान पढ़ा–लिखा व होशियार होने से सहमति विभाजन हेतु तैयार कागजात में हल्का पटवारी से मिलीभगत कर बंटवाड़ा में अपीलांट्स के खेत खसरा संख्या 350 को साथ लेते हुए विक्रय के पश्चात अवशेष भूमि कुल रकबा 29–02 बीघा का अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार खसरा संख्या 347 के विभाजन के फलस्वरूप रेस्पोडेंट को 9–01 बीघा के बजाय खसरा संख्या 350 एवं 347 के कुल 29–02 बीघा के हिस्से में से मुख्य सड़क पर स्थित 14–11 बीघा का एक हिस्सा बनाकर पूरा खसरा हड़प लिया। पत्रावली में प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन से पाया जाता है कि खसरा नंबर 350 अपीलांट्स की खातेदारी का है जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 1 के पिता का सहखातेदार के रूप में नाम दर्ज नहीं था। इसके बावजूद अपीलाधीन विभाजन में खसरा नबंर 1365 / 347 को साथ रखते हुए अपीलाधीन विभाजन कराया गया है। खसरा नबंर 1365 / 347 [illegible] दर्ज नहीं है तथा अपीलाधीन विभाजन में [illegible] हुए 14–11 बीघा भूमि अपीलांट्स को दी [illegible] अपीलाधीन आदेश के द्वारा खातेदारों की हिस्सों एवं खातेदारी हकूकों [illegible] विपरीत अपीलाधीन विभाजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:21:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर बाड़मेर

किया गया है। इस आधार पर अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश दूषित एवं क्षेत्राधिकार विहीन होने से अपीलांट्स की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिणधरी द्वारा मौजा दाखा के खसरा नम्बर 350 एवं 1365/347 के विभाजन हेतु पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक 385 दिनांक 31.01.2013 को अपास्त किया जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 12.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:21:07 IST
Reason: SelfAttested